न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 166/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88, 53 आरटीए

संजय कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम्

1. पृथ्वीराज पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. संतोष पत्नि पृथ्वीराज जाति जाट निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सुमन पत्नि महिन्द्रपाल पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
4. पूनम पत्नि अमित कुमार पुत्री पृथ्वीराज निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

उपस्थित :— प्रतिवादीगण

1— श्री संतोष सोलकी —वकील वादी
2— श्री राधेश्याम —वकील प्रति.सं. 1 ता 4

निर्णय

दिनांक :— 28.4.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के पिता पृथ्वीराज पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी रासुवाला के नाम से चक 7 आई.डी.जी. के खाता संख्या 64/32 एकल खाता में 4.554है. व चक 9 आई.डी.जी. के खाता संख्या 53/46 में 4.175है. कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। इस प्रकार वादी के पिता के नाम से दोनो चको में कुल 8.728है. कृषि भूमि दर्ज है। यह कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की जददी जायदाद है। यह कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता से प्राप्त हुई थी। उक्त कृषि भूमि से चक 9 आई.डी.जी. के खाता संख्या 53/46 में 4.175है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये पंजीकृत दानपत्र के दान कर दी है। जिस बाबत कोई विवाद नही है। दानपत्र संलग्न वाद है। इस प्रकार यह कृषि भूमि वादी की पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्मत हक व अधिकार निहित है। प्रतिवादी के नाम से दर्ज चक 7 आई.डी.जी. के खाता संख्या 64/32 एकल खाता में 4.554 है कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा बनता है लेकिन प्रतिवादी सं. 03 व 04 द्वारा अपना समस्त हक व हिस्से के परित्याग वादी व प्रतिवादी सं. 01 व 02 के पक्ष में कर दिया है। प्रतिवादी सं. 03 व 04 द्वारा अपने हक व हिस्से का परित्याग करने के बाद प्रतिवादी सं. 03 व 04 का कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नही रहा है इस प्रकार प्रतिवादी सं. 03 व 04 द्वारा अपने हक व हिस्से का परित्याग करने के बाद वादी का वाद पत्र की चरण सं. 03 में वर्णित कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा बनता है जिस पर वादी का जन्मतः हक व हिस्सा होने के कारण वादी इसी आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है। प्रतिवादी सं. 01 लालची प्रवृति का व्यक्ति है तथा लालच स्वरूप कृषि भूमि अपने नाम का हाने का गलत व मनमाना फायदा उठाते हुए कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहनबैय करने के लिए प्रयासरत है तथा इसी प्रयास स्वरूप प्रतिवादी सं. 01 द्वारा कृषि भूमि को अन्यंत्र रहनबैय करने के लिए गांव के कई व्यक्तियों से वार्ता की जा रही है। प्रतिवादी सं. 01 द्वारा वादी का स्पष्ट धमकी दी गई है कि वह अपने नाम की कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहनबैय कर देगा यदि प्रतिवादी सं. 01 वाद पत्र की चरण संख्या में वर्णित कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहनबैय कर देता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी वादी अपने विधिक व साम्पतिक अधिकारों से ववंचित हो जाएगा ऐसी स्थिति में वादीगण के विरूद्ध इस आशय का शाश्वत व्यादेष प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण सं.

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

03 में वर्णित कृषि भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहनबैय करने से निषेध रहें। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे चलकर वादी को वाद पत्र की चरण सं. 03 में वर्णित कृषि भूमि का वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार होना मानते हुए अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करवा देवे इस पर प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वाद बाबत घोषणा व खाता तकसीम का है। ऐसी स्थिति में वाद वादी 04/– रूपये के न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

लिहाजा वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न तरीका से डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि का उसके हक व हिस्सा तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन कर दिया जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी एव प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी/प्रतिवादी बन्द की गई। वकील वादीगण द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी निम्नानुसार प्रदर्श/प्रस्तुत किये गये:–

1. चक 9 आईडीजी खाता संख्या 53/46 ज.स. 2072–75 प्रदर्श–1
2. चक 7 आईडीजी खाता संख्या 64/32 ज.स. 2070–73 प्रदर्श–2
3. प्रकरण संख्या 37/12 साहबराम बनाम दीपाराम वगैरा में पारित आदेश/डिक्री दिनांक 09.09.2013

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एक ही कुटुम्ब समुदाय के व्यक्ति है वादग्रस्त कृषि भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद है जिसका हमने अच्छी मन्दी अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और राजीनामा भी पेश हो चुका है एवं वाद पत्र में कोई विरोध नहीं है इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकिल प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र को मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 9 आईडीजी खाता संख्या 53/46 ज.स. 2072–75 एवं चक 7 आईडीजी खाता संख्या 64/32 ज.स. 2070–73 में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एव प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 7 आईडीजी खाता संख्या 64/32 ज.स. 2070–73 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी को निम्नानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 को उक्तानुसार हिस्सा कम कर निम्नानुसार खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

1. वादी संजय कुमार पुत्र पृथ्वीराज के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 7 आईडीजी खाता संख्या 64/32		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
122/122	29	8,9,12,13, 17 ता 19, 22 ता 24/0.253 है.प्र.

2. प्रतिवादी सं. 1 पृथ्वीराज पुत्र दुलाराम के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 7 आईडीजी खाता संख्या 64/32		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
122/121	26	11/1/0.127, 12/1/0.126, 19 ता 22/0.253 है.प्र.
122/122	29	1 ता 3/0.253 है.

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 28/4/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जिला हनुमानगढ़

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 166/2026

संजय कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. पृथ्वीराज पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. संतोष पत्नि पृथ्वीराज जाति जाट निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सुमन पत्नि महिन्द्रपाल पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
4. पूनम पत्नि अमित कुमार पुत्री पृथ्वीराज निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री संतोष सोलकी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री राधेश्याम वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 7 आईडीजी खाता संख्या 64/32 ज.स. 2070–73 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी को निम्नानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम कर निम्नानुसार खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

1 वादी संजय कुमार पुत्र पृथ्वीराज के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 7 आईड़ीजी खाता संख्या 64/32		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
122/122	29	8,9,12,13, 17 ता 19, 22 ता 24/0.253 है.प्र.

2.प्रतिवादी सं. 1 पृथ्वीराज पुत्र दुलाराम के हक हिस्सा की कृषि भूमि :–

चक 7 आईडीजी खाता संख्या 64/32		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
122/121	26	11/1/0.127, 12/1/0.126, 19 ता 22/0.253 है.प्र.
122/122	29	1 ता 3/0.253 है.

नोटः– वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज X नल X मुब्लिक X निल X बाबत् X निल X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28/4/26 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया